श्री हेमन्त सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री
झारखण्ड

श्री राधाकृष्ण किशोर
माननीय वित्त मंत्री
झारखण्ड

श्री राधाकृष्ण किशोर

वित्त मंत्री, झारखण्ड सरकार

का

बजट भाषण

राँची, दिनांक 03 मार्च, 2025

श्री राधाकृष्ण किशोर

वित्त मंत्री, झारखण्ड सरकार

का

बजट भाषण

राँची, दिनांक 03 मार्च, 2025

अध्यक्ष महोदय,

!! जोहार !!

1. वित्तीय वर्ष 2025–26 का झारखण्ड राज्य का बजट आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखते हुए मुझे अति गौरव की अनुभूति हो रही है। मेरे 45 वर्षों के राजनैतिक जीवन में मेरे लिए यह पहला अवसर है, जब वित्त मंत्री के रूप में गौरवशाली झारखण्ड राज्य के लिए सदन में बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे यह अवसर देने के लिए मैं संपूर्ण सदन, राज्य की जनता, अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं तथा राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति आभार अभिव्यक्त करता हूँ।

2. **अध्यक्ष महोदय,** इस सदन की ओर से मैं वीर–भूमि झारखण्ड के अमर शहीद धरती आबा बिरसा मुण्डा के साथ तिलका मांझी, बीर बुधू भगत, पोटो हो, सिदो–कान्हु मुर्मू, चाँद–भैरव, फूलो–झानो, तेलंगा खड़िया, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, पाण्डे गणपत राय, नीलाम्बर–पीताम्बर और शेख भिखारी सहित सभी नाम–अनाम वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्योछावर कर एकता और अस्मिता की रक्षा की है।

3. **महोदय,** 03 मार्च, अर्थात आज का दिन देश के एक महान उद्योगपति जमशेद्जी नौसरवान जी टाटा का जन्म दिवस है। उनका मानना था कि ''आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनैतिक स्वतंत्रता का आधार है''।

4. **महोदय,** सर्वविदित है कि 15 नवम्बर, 2000 को बिहार राज्य से अलग होकर झारखण्ड भारत वर्ष का 28वाँ राज्य बना। अलग झारखण्ड राज्य के निर्माण के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी थी। दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी, केंद्रीय कांग्रेस के नेतृत्व तथा अन्य राजनैतिक संगठनों के बिना झारखण्ड राज्य का

निर्माण कदापि संभव न था। अफसोस की बात यह कि जिन उद्देश्यों को लेकर झारखण्ड राज्य का निर्माण हुआ था, राज्य निर्माण के प्रारंभिक तथा मध्यकाल में सत्ता की बागडोर संभालने वाले नेतृत्व के समक्ष दृष्टि अभाव के कारण वह उद्देश्य पूरा न हो सका।

5. **अध्यक्ष महोदय,** प्रायः यह देखा जाता है कि विपत्तियों के समय में मनुष्यों में आत्मबल की कमी आ जाती है, चाहे वह विपत्ति सामाजिक, प्राकृतिक, आर्थिक अथवा राजनैतिक क्यों न हो? महोदय संपूर्ण झारखण्ड जानता है कि राज्य के मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन जी दिल में कशक लिए हुए राज्य निर्माण के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें सुनियोजित राजनैतिक झंझावातों से गुजरना पड़ा था, परन्तु वह तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने आत्मबल एवं विश्वास के साथ राजनैतिक झंझावातों का सामना किया और राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास के पथ पर निरंतर चलते रहे। विकास के प्रति समर्पित तथा आत्मविश्वास से लबरेज मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सारेन जी के लिए युवा कवि श्री स्वयं श्रीवास्तव की चार पंक्तियाँ समर्पित कर रहा हूँ–

'' जब डर पता चला तभी ताकत पता चली,
सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली,
शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया,
तब जाके अपने आप की कीमत पता चली।''

6. **अध्यक्ष महोदय,** अबुआ राज की जनता के विश्वास एवं युवा जननायक माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन जी के नेतृत्व में इण्डिया गठबंधन को प्रचण्ड बहुमत प्राप्त हुआ। जनता के इस विश्वास का मुख्य कारण महागठबंधन

सरकार का 5 वर्षों का कार्य एवं आगामी 5 वर्षों के लिए घोषणा पत्र रहा है। इस घोषणा पत्र के माध्यम से लिए गये निर्णयों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए सरकार संकल्पित है।

7. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में बिना अतिरिक्त कर लगाये राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के लिए वित्त विभाग के साथ मुख्य राजस्व संग्रहण विभागों की राजस्व संवर्द्धन समिति बनायी गयी है, जिसके माध्यम से राजस्व वृद्धि के लिए प्रयास किया जा रहा है।

8. **अध्यक्ष महोदय,** विभागों को आगामी वित्तीय वर्ष में बजट का प्रावधान किया जाना प्राथमिकता नहीं है, बल्कि Perspective Planning के तहत वर्षवार कार्य योजना तैयार कर कार्य किया जायेगा। चालू योजना का Outcome तथा Critical Gap भरने के संबंध में भी हमारी सरकार विचार कर रही है।

9. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के संसाधन सीमित हैं। सिर्फ राज्यांश एवं केन्द्रांश मद की राशि से विकास एवं आधारभूत संरचना का निर्माण संभव नहीं है। अन्य स्रोतों यथा– Public Private Partnership, CSR एवं अन्य बाह्य एजेन्सियों के माध्यम से Funding प्राप्त करने हेतु एजेन्सियों को चिन्हित किया जायेगा। संबंधित नोडल विभागों के अन्तर्गत PPP Cell तथा CSR Cell को क्रियाशील किया जायेगा। राज्य एवं जिलास्तर पर Corporate कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर CSR मद से राशि प्राप्त की जायेगी।

10. **मान्यवर,** राज्य के लगभग 80 प्रतिशत विद्यार्थी राज्य के सरकारी विद्यालयों में नामांकित हैं, अतः सरकार सरकारी विद्यालयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कृत संकल्पित है।

11. **महोदय,** सरकार ने State Technology Park, State Research Park, J-Hub, J-Works, PFIC, Innovation Hub की स्थापना की योजना बनायी है, जो Innovation का केंद्र बनेगा और शिक्षा जगत, उद्योग एवं अनुसंधान संस्थानों के बीच एक सेतु का काम करेगा।

12. **महोदय,** झारखण्ड में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएँ हैं, जो राज्य के अतिरिक्त राजस्व संसाधन एवं अतिरिक्त रोजगार सृजन का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत बन सकता है। इस विजन के साथ सरकार राज्य में विभिन्न स्थलों, यथा– बेतला, मंडल, मलय, केचकी, माड़ोमाड़, बूढ़ाघाघ, नेतरहाट, सुगाबाँध तथा अन्य प्रमण्डलों में टूरिस्ट सर्किट की योजना पर कार्य कर रही है।

13. **अध्यक्ष महोदय,** जिला भ्रमण के दौरान यह देखा गया है कि कई सरकारी भवन अव्यवहृत हैं। इन भवनों के बेहतर उपयोग हेतु कार्य किया जायेगा। भविष्य में सरकारी भवन निर्माण करने के पूर्व उसकी उपयोगिता तथा सड़क से Connectivity को ध्यान में रखा जायेगा।

14. **माननीय महोदय,** 1.36 लाख करोड़ रुपये Royalty Payable on Washed Coal, Dues of Common Cause Judgment एवं Dues of Government Land Acquisition मद में भारत सरकार के पास लम्बित है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बार–बार केन्द्र सरकार से यह राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा रहा है। यदि आवश्यक हुआ तो हम कानूनी कार्रवाई के लिए अग्रसर होंगे।

15. **महोदय,** प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट में केन्द्रीय सेक्टर योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए राशि का प्रावधान किया जाता है, परन्तु केन्द्र सरकार के द्वारा केन्द्रांश मद की राशि कम उपलब्ध करायी जा रही है, फलस्वरूप राज्य का योजना बजट बड़ा होने के बावजूद केन्द्रांश मद से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण व्यय का प्रतिशत कम हो जाता है। आगामी वित्तीय

वर्ष में केन्द्रांश मद में लगभग **17 हजार 57 करोड़ 10 लाख 10 हजार** रुपये का प्रावधान किया गया है। सभी विभाग केन्द्रांश मद की राशि प्राप्त करने हेतु स्थानीय आयुक्त, नई दिल्ली के माध्यम से भारत सरकार के मंत्रालयों से समन्वय स्थापित कर राशि प्राप्त करेंगे।

16. **अध्यक्ष महोदय,** हमारी गठबंधन की सरकार ने वर्ष 2022–23 के लिए **''हमर अपन बजट''** पोर्टल के माध्यम से एक नवाचारी प्रयोग प्रस्तुत किया था, जिसमें झारखण्डवासियों की उत्साहवर्द्धक भागीदारी हुई थी। उक्त क्रम में कई उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें से कई एक सुझाव बजट में सम्मिलित भी किये गये थे। इन प्रयोगों को जारी रखते हुए वर्ष 2025–26 के लिए हमने इसे जनमन के और करीब लाते हुए **''अबुआ बजट''** नाम दिया। विभिन्न बजट गोष्ठियों में राज्य और राज्य के बाहर के विद्वान अर्थशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों के साथ–साथ झारखण्ड की आम जनता विशेषकर युवापीढ़ी की व्यापक भागीदारी रही है।

मान्यवर, श्री हेमन्त सोरेन जी के नेतृत्व में इण्डिया गठबंधन की सरकार बिना रुके, बिना डिगे झारखण्ड की जनता की सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए श्री पीयूष मिश्रा जी की निम्न पंक्तियों से प्रेरित होकर आगे बढ़ रही है :–

हम जिस गति से हैं चले, उस गति को पायेंगे,
आप फूल सूंघते रहे, तो किस गति को जायेंगे।
सर के जिस पर तेज हो, और हाथ में हो धनुष–बाण,
वीर उसको बोलते, जो बूढ़ा हो या जवान।
रण में जाकर हो खड़ा तू, चक्रव्यूह को तोड़ दे,
मौत को भी मात दे और दुश्मनों को मरोड़ दें।

17. **महोदय,** विषम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद हमने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ–साथ उनका ध्यान रखा, जो अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है। हमने विकास की राह में अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को आगे लाने का प्रयास किया है। झारखण्ड सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना, सुखाड़ राहत, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मराङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, धोती–लुंगी–साड़ी योजना सहित कई योजनाएं हमारी गठबंधन की सरकार ने शुरू की हैं। साथ ही, प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में लगभग तीन गुणा की वृद्धि की गई है। यह सब सीधे जनता की आकांक्षाओं, उम्मीदों और उनके उत्थान से जुड़ी हुई हैं।

18. **अध्यक्ष महोदय,** मजबूत अर्थव्यवस्था के मेरे दावे की पुष्टि आंकड़ों के अवलोकन से भी होती है। राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराते हुए बताना चाहूँगा कि वर्ष 2019–20 में राज्य का आर्थिक विकास दर 1.1 प्रतिशत था। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों को अपवाद माने तो वर्ष 2022–23 में अप्रत्याशित सुधार के साथ आर्थिक विकास दर 7.8 प्रतिशत (Constant Price) रहा। वर्ष 2023–24 में राज्य का विकास दर 7.5 प्रतिशत (Constant Price) रहा तथा वर्ष 2025–26 में इसका 7.5 प्रतिशत (Constant Price) पर रहने का अनुमान है।

19. **अध्यक्ष महोदय,** हमारी गठबंधन की सरकार ने राजकोषीय घाटा को नियंत्रित और कम से कम स्तर तक रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमने बेहतर वित्तीय प्रबन्धन के द्वारा वर्ष 2022–23 में राजकोषीय घाटा को 1.1 प्रतिशत रखने में सफलता हासिल की है। इसके फलस्वरूप राज्य का Debt-GDP Ratio में सुधार हुआ है। यथा– वित्तीय वर्ष 2021–22 में यह 30.2 प्रतिशत था, वित्तीय वर्ष 2022–23 तथा 2023–24 क्रमशः 28.4 तथा 27.7 प्रतिशत रहा तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में क्रमशः 27.5 प्रतिशत एवं 27.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

20. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि राज्य ने अपने राजस्व आय (कर और गैर कर राजस्व) में उत्तरोत्तर वृद्धि हासिल की है। वर्ष 2019–20 में राज्य के स्रोत से कुल राजस्व आय **25,521 करोड़ (25 हजार 5 सौ 21 करोड़)** रुपये थी, जो वित्तीय वर्ष 2023–24 में **41,429.88 करोड़ (41 हजार 429 करोड़ 88 लाख)** रुपये हो गई तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 में **61,056.12 करोड़ (61 हजार 56 करोड़ 12 लाख)** रुपये रहने का अनुमान है।

21. **अध्यक्ष महोदय,** हमारे गठबंधन की सरकार के बजट की एक और महत्वपूर्ण विशिष्टता यह है कि विगत् पाँच वर्षों में स्थापना–व्यय की तुलना में योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। कुल व्यय में स्थापना एवं योजना व्यय का अनुपात देखा जाय तो यह वित्तीय वर्ष **2019–20 में 47:53** था (क्रमशः 33 हजार 145 करोड़ 37 लाख एवं 52 हजार 283 करोड 63 लाख) जो वित्तीय वर्ष **2025–26 में 37:63** (क्रमशः 53 हजार 658 करोड़ 47 लाख एवं 91 हजार 741 करोड 53 लाख) प्रस्तावित है। यह इस बात को इंगित करता

है कि वर्त्तमान सरकार स्थापना व्यय की तुलना में राज्य के विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

22. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में आधारभूत संरचनाओं का विकास तेजी से करना हमारी प्राथमिकता रही है। ऐसे में पूँजीगत परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि करने पर हमने बल दिया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में पूँजीगत परिव्यय के पुनरीक्षित बजट पर 9.06 प्रतिशत की वृद्धि के साथ **25,720.41 करोड़ (25 हजार 720 करोड़ 41 लाख)** रुपये पूँजीगत परिव्यय का आकलन किया गया है।

23. **अध्यक्ष महोदय,** हमारी सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य को बेहतर करने और भविष्य की पीढ़ी को आर्थिक बोझ की विरासत से बचाने के लिए बेहतर ऋण प्रबन्धन किया गया है।

24. **अध्यक्ष महोदय**, राज्य की आधारभूत संरचना के विकास के लिए ऋण लेना राज्य सरकार की बाध्यता है और सरकारें ऋण लेती हैं। पूर्व में लिए गए ऋणों के भुगतान में भविष्य में सम्भावित किसी विपरीत आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 से वर्त्तमान राज्य सरकार द्वारा Sinking Fund में लगातार निवेश किया जा रहा है। इस उद्देश्य से अबतक इसमें लगभग 2,282 करोड़ (**2 हजार 282 करोड़**) रुपये का निवेश किया गया है, जिसका उपयोग केवल ऋण भुगतान के लिये ही किया जाएगा। इससे स्वस्थ आर्थिक हित के साथ–साथ राज्य की साख भी बढ़ी है। इस वर्ष इसमें **638 करोड़ 13 लाख** रुपये का पुनः निवेश करने का प्रस्ताव है।

25. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के कर्मियों के सेवानिवृत्त होने पर आर्थिक जोखिमों से दूर कर उन्हें एक सुरक्षित आर्थिक स्रोत सुनिश्चित कराने हेतु पुनः लागू पुरानी पेंशन योजना का वित्तीय भार कम करने के दृष्टिकोण से **पेंशन कोष** का

गठन किया गया है। इसके लिए वर्ष **2023–24 में 700 करोड** रुपये एवं **2024–25 में 780 करोड़** रुपये पेंशन कोष में निवेश किया गया तथा वित्तीय वर्ष **2025–26 में 832 करोड़** रुपये का निवेश हेतु बजट प्रस्तावित है।

26. **अध्यक्ष महोदय,** मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूँ कि हमारे पाँव जमीन पर मजबूती से टिके हैं और विकास के आसमान को छूने का हौसला भी हम रखते हैं। इसी विश्वास के साथ मैं सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए **1,45,400 करोड़ (1 लाख 45 हजार 4 सौ करोड़)** रुपये का सकल बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो गत वर्ष से लगभग 13 प्रतिशत अधिक है।

27. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2025–26 में राजस्व व्यय के लिए **1,10,636 करोड़ 70 लाख (1 लाख 10 हजार 636 करोड़ 70 लाख)** रुपये प्रस्तावित है, जो गत वर्ष से 20.48 प्रतिशत अधिक है। पूँजीगत व्यय अन्तर्गत गत वर्ष के पुनरीक्षित बजट पर 7.81 प्रतिशत वृद्धि के साथ **34,763.30 करोड़ (34 हजार 763 करोड़ 30 लाख)** रुपये का प्रस्ताव है।

28. बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए **37,884.36 करोड़ (37 हजार 884 करोड़ 36 लाख)** रुपये, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए **62,840.45 करोड़ (62 हजार 840 करोड़ 45 लाख)** रुपये तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए **44,675.19 करोड़ (44 हजार 675 करोड़ 19 लाख)** रुपये उपबंधित किये गये हैं।

29. **अध्यक्ष महोदय**, बजट में प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। राज्य को अपने कर राजस्व से **35,200 करोड़ (35 हजार 2 सौ करोड़)** रुपये तथा गैर कर राजस्व से **25,856.12**

करोड़ (25 हजार 856 करोड़ 12 लाख) रुपये केन्द्रीय सहायता से **17,057.10 करोड़ (17 हजार 57 करोड़ 10 लाख)** रुपये तथा केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में **47,040.22 करोड़ (47 हजार 40 करोड़ 22 लाख)** रुपये, लोक ऋण से **20,000 करोड़ (20 हजार करोड़)** रुपये एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से **246.56 करोड़ (246 करोड़ 56 लाख)** रुपये होने का अनुमान है।

30. वर्ष 2025–26 में राजकोषीय घाटा **11,253.44 करोड़ (11 हजार 253 करोड़ 44 लाख)** रुपये होने का अनुमान है, जो कि अनुमानित GSDP का 2.02 प्रतिशत है।

31. वर्ष 2025–26 में राज्य का आर्थिक विकास दर वर्ष 2011–12 के Constant Price तथा Current Price पर क्रमशः 7.5 प्रतिशत तथा 9.9 प्रतिशत अनुमानित है।

32. मौजूदा कीमतों पर झारखण्ड का GSDP वित्तीय वर्ष 2023–24 में लगभग **4.6 ट्रिलियन (4 लाख 61 हजार 10 करोड़ रुपये)** रहा। सरकार का प्रयास होगा कि वित्तीय वर्ष 2029–30 तक इसे **10 ट्रिलियन (10 लाख करोड़)** रुपये का बनाया जाय। इसे वर्ष 2023–24 और 2029–30 के बीच प्रति वर्ष 14.2 प्रतिशत की औसत वृद्धि सुनिश्चित करके झारखण्ड को 2030 तक 10 ट्रिलियन रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

33. झारखण्ड का विकास दर अब तक उक्त लक्षित विकास दर (14.2 फीसदी) से कुछ ही कम रहा है। झारखण्ड की वर्तमान कीमत पर GSDP वर्ष 2000–01 में **32,093 करोड़ (32 हजार 93 करोड़)** रुपये था, जो वर्ष 2000–01 और

2004–05 के बीच 12.5 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा और वर्ष 2004–05 और 2011–12 के बीच 12.4 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा।

34. वर्ष 2011–12 से 2022–23 के बीच राज्य की मौजूदा कीमतों पर GSDP 9.1 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा। इस अवधि के दौरान वर्ष 2015–16 में कमजोर मॉनसून, वर्ष 2019–20 में आर्थिक मंदी तथा वर्ष 2020–21 में कोविड–19 महामारी का विकास दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इन ग्यारह वर्षों में से पाँच वर्षो में आर्थिक विकास दर 14.2 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ा।

35. सभी प्रमुख कारक जो एक बड़ी GSDP सुनिश्चित करते हैं और उच्च विकास दर निर्धारित करते हैं, झारखण्ड में भी मौजूद हैं। झारखण्ड एक संसाधन संपन्न राज्य है। देश का लगभग 40 प्रतिशत खनिज भंडार इसी राज्य में स्थित है। इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 33 प्रतिशत भाग वनाच्छादित है, जो कई मूल्यवान लघु वन उत्पादों का स्रोत है। राज्य में पर्यटकों की रुचि के कई स्थान स्थित हैं। इस राज्य के प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनने की क्षमता को और विकसित कर अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके।

36. राज्य के श्रमिक वर्ग काफी मेहनती होते है, जिन्होंने देश भर में कई परियोजनाओं और स्थानों के विकास में अपना योगदान दिया है। हमारी प्राथमिकता होगी कि झारखण्ड में ही इन्हें अधिक–से–अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध कराया जाय।

37. **मान्यवर,** 14.2 प्रतिशत की लक्षित विकास दर राज्य के मौजूदा संसाधनों का उपयोग करके, बाहरी कारकों, विशेष रूप से सूखे के प्रभाव को निष्प्रभावी करके और विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों को लागू करके हासिल की जाएगी। इस क्रम में ग्रोथ इंजन कृषि, उद्योग, भौतिक संरचनाओं का विकास, वित्तीय सेक्टर (बैंकिग एवं अन्य वित्तीय संस्थान आदि) का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा पर विशेष बल दिया जायेगा।

महोदय, सदन के विपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा श्री हेमन्त सोरेन जी की सरकार की इन उपलब्धियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, सम्भवतः वह ऐसा करेंगे नहीं। ऐसे में मुझे दुष्यन्त कुमार जी की दो पंक्तियाँ याद आती हैं :–

''वे मुतमइन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता,
हम बेकरार हैं, आवाज़ में असर के लिए।''

कृषि एवं सम्बद्ध प्रक्षेत्र

38. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य की आर्थिक–संस्कृति आज भी मुख्यतः खेती–किसानी पर ही आधारित है। हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता किसानों को ऋण से मुक्त करना, सूखा से राहत दिलाना और सबसे महत्वपूर्ण उनके आय में वृद्धि करना है।

39. **अध्यक्ष महोदय,** हमारी सरकार ने झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से अब तक लगभग 4 लाख किसानों का 2 लाख रुपये तक का ऋण माफ किया है। इस मद में कुल **769 करोड़** रुपये से अधिक का व्यय किया गया है।

40. **आदरणीय महोदय,** वित्तीय वर्ष 2023–24 में लागू बिरसा बीज उत्पादन, विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना को आगे बढ़ाते हुए वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग **3,83,000 (3 लाख 83 हजार)** किसानों को आच्छादित करते हुए कुल **39 करोड़ 10 लाख** रुपये व्यय के साथ अनुदान पर बीज वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस योजनान्तर्गत **95 करोड़** रुपये व्यय का प्रस्ताव है।

41. **आदरणीय महोदय,** वित्तीय वर्ष 2024–25 में मृदा एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में बंजर भूमि राईस फैलो उपयोजना एवं जलनिधि उपयोजना अन्तर्गत कुल 1,200 (बारह सौ) सरकारी/निजी तालाबों का गहरीकरण/जीर्णोद्धार कराया जा रहा है जिसके माध्यम से कृषि कार्य हेतु 9,600–12,000 हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसे जारी रखते हुए वित्तीय वर्ष 2025–26 में जल निधि उप योजना अंतर्गत तालाबों का गहरीकरण/जीर्णोद्धार, डीप बोरिंग आदि कार्य कराने हेतु **203 करोड 40 लाख** रुपये का बजट प्रस्ताव है।

42. **आदरणीय महोदय,** खेती में कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि यंत्र वितरण योजना अन्तर्गत मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर, पम्प सेट, रीपर, ट्रॉंसप्लान्टर आदि का वितरण किया जा रहा है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में **8400 लाभुकों** के लिए **140 करोड़ (1 सौ 40 करोड़)** रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

43. **आदरणीय महोदय,** सुखाड़ की स्थिति से निबटने हेतु संचालित झारखण्ड राज्य मिलेट मिशन अन्तर्गत किसानों को लगातार आच्छादित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में झारखण्ड राज्य मिलेट मिशन योजनान्तर्गत

1 लाख किसानों को अनुदान देने का प्रस्ताव है, जिसपर **24 करोड़ 50 लाख रुपये** का बजट प्रस्तावित किया गया है।

44. **आदरणीय महोदय,** उद्यानिकी क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रुप में स्थापित करने, कृषकों की आय में वृद्धि करने तथा पलायन रोकने के उद्देश्य से राज्य उद्यान विकास की योजना को आगे बढ़ाते हुए इस योजना अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में सब्जी की खेती, फूल की खेती, कृषक प्रशिक्षण, सैंपलिंग नर्सरी की स्थापना, मधुमक्खी पालन की योजना, चाय की खेती का प्रत्यक्षण आदि पर वित्तीय वर्ष 2025–26 में **304 करोड़ 85 लाख** का बजट प्रस्तावित किया गया है।

45. **अध्यक्ष महोदय,** पशुपालन एवं गव्य विकास के क्षेत्र में **मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना** अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल **79,000 (79 हजार) लाभुकों** को आच्छादित करने के लक्ष्य पर **255 करोड़ (2 सौ 55 करोड़)** रुपये का बजट प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य 38,01,000 (38 लाख 01 हजार) मीट्रिक टन प्रस्तावित है। झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से राज्य में दूध संग्रहण, विधायन एवं विपणन व्यवस्था के विस्तारीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु झारखण्ड डेयरी डेवलपमेंट प्लान के क्रियान्वयन का प्रस्ताव है।

46. **अध्यक्ष महोदय,** झारखण्ड राज्य के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान से भरपाई हेतु बिरसा–प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों के उत्पादन में क्षति होने की स्थिति में फसलों की क्षति का आकलन कर किसानों को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष

2025–26 में बिरसा–प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए **350 करोड़ (3 सौ 50 करोड़)** रुपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

47. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में वेजफेड, सिदो–कान्हु सहकारी संघ लिमिटेड आदि सहकारी संस्था कार्यरत है, जो अपने–अपने प्रक्षेत्र में सहकारिता के प्रचार–प्रसार एवं विकास हेतु क्रियाशील है एवं इनके माध्यम से सभी प्रकार की समितियों को आधारभूत संरचना एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त फेडरेशनों के आधारभूत संरचना के विकास एवं प्रशिक्षण हेतु **77.76 करोड़ (77 करोड़ 76 लाख)** रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

48. **आदरणीय महोदय,** कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियों तथा वनोपज के व्यापार से ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर अनुसूचित जनजाति एवं ग्रामीणों को उनके द्वारा उत्पादित एवं संग्रहित उत्पादों का उचित पारिश्रमिक तथा उचित मूल्य दिलवाने आदि के उद्देश्य से सिदो–कान्हु कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड एवं जिला स्तरीय सहकारी संघ लिमिटेड का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में जिला स्तरीय सहकारी संघ लिमिटेड के लिए हिस्सापूंजी हेतु **24 करोड़ (चौबीस करोड़)** रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

49. **अध्यक्ष महोदय,** वर्त्तमान में लैम्प्स/पैक्स विभिन्न सेवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। इनके माध्यम से किसानों के उपज के भंडारण एवं संरक्षण हेतु गोदाम निर्माण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में 118 गोदामों के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है, जिसपर **259 करोड़ 52 लाख** का बजटीय उपबंध किया गया है।

50. **अध्यक्ष महोदय,** आगामी वित्तीय वर्ष 2025–26 में ग्रामीण एवं शहरी इच्छुक युवाओं को मछली पालन की विभिन्न विधाओं में सहायता प्रदान कर स्वरोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने हेतु 4,10,000 (4 लाख 10 हजार) मीट्रिक टन मछली का उत्पादन कराने की योजना है।

51. **अध्यक्ष महोदय,** आगामी वर्ष में 2025–26 में कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र के लिए **4 हजार 587 करोड़ 66 लाख 24 हजार** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

ग्रामीण विकास

52. **अध्यक्ष महोदय,** ग्रामीण क्षेत्रों में आय के स्रोतों को बढ़ाते हुए रोजगार सृजन एवं उनके जीवन स्तर में सुधार करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 2025–26 में महात्मा गाँधी नरेगा योजना अन्तर्गत 12 करोड़ मानवदिवस रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है।

53. **अध्यक्ष महोदय,** सरकार की महत्त्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अनाच्छादित राज्य के गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए की गई है, जिसमें लाभार्थियों को पाँच किस्त में **2,00,000/– (दो लाख)** रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजनान्तर्गत 2024–25 तक के लिए अबुआ आवास हेतु निर्धारित लक्ष्य 6 लाख 50 हजार के विरुद्ध अब तक कुल 6 लाख 1 हजार 135 आवासों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें से 19 हजार 685 आवास पूर्ण हो चुके हैं। शेष आवास वित्तीय वर्ष 2025–26 में पूर्ण कराने का प्रस्ताव है।

54. वित्तीय वर्ष 2025–26 में सखी मंडलों के उत्पादों को उचित मूल्य एवं आर्थिक सहायता देने तथा वर्ष भर बाजार उपलब्ध कराने के लिए पलाश–ब्रांड के तहत

विपणन कराया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष 2025–26 में पलाश मार्ट पर **30 करोड़** रुपये के व्यय का प्रस्ताव है।

55. आगामी वित्तीय वर्ष 2025–26 में 2 हजार सखी मंडलों को चक्रीय निधि की राशि तथा 35 हजार स्वयं सहायता समूहों को कैश क्रेडिट हेतु बैंक लिंकेज की सुविधा प्रदान की जाएगी। लगभग 2 लाख अतिरिक्त महिला किसानों को आजीविका संबंधी गतिविधियों से जोड़ा जाएगा।

56. वर्ष 2025–26 में ग्रामीण विकास के लिए **9 हजार 841 करोड़ 41 लाख 61 हजार** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

जल संसाधन

57. **अध्यक्ष महोदय,** वृहद् एवं मध्यम सिंचाई प्रक्षेत्र अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में **779 करोड़ 20 लाख** का योजना प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें नई सिंचाई परियोजना का निर्माण एवं पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण कराने का लक्ष्य है। पूर्ण एवं अपूर्ण वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्स्थापन, जीर्णोद्धार, विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए **136 करोड़** का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त स्वर्णरेखा परियोजना पर आगामी वित्तीय वर्ष में **350 करोड़** का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

58. पीरटांड प्रखंड में बराकर नदी पर वीयर का निर्माण कर भूमिगत पाईप लाईन के माध्यम से जल उद्वह कर पीरटांड प्रखंड में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना जुलाई, 2024 में प्रारंभ की गयी है, जिसे आगामी 3 वर्षों में **639 करोड़ 20 लाख** की लागत से पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

59. **अध्यक्ष महोदय**, लघु सिंचाई प्रक्षेत्र अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में 352 चेकडैम, 3 वीयर एवं 10 सोलर उद्वह सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं 185 मध्यम सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है, जिससे 29,722 हेक्टेयर सिंचाई सुविधा सृजित/पुनर्जीवित की जा सकेगी।

60. सिंचाई सुविधाओं और सिंचाई क्षमता के विस्तार को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025–26 में जल संसाधन के लिए **2 हजार 257 करोड़ 45 लाख 55 हजार** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

पंचायती राज

61. **अध्यक्ष महोदय,** शत–प्रतिशत राज्य योजना मद अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2025–26 में पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना, विभिन्न भवन परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मती/जीर्णोद्धार, सामुदायिक सेवा केंद्र तथा पंचायत ज्ञान केंद्र आदि पर कुल **280 करोड़** के बजटीय उपबंध का प्रस्ताव है।

62. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुदान मद में **1,322 करोड़ (1 हजार 3 सौ 22 करोड़)** रुपये की राशि प्राप्त होने की संभावना है। उक्त राशि से संबंधित संस्था 30 (तीस) प्रतिशत जलापूर्ति पर, 30 (तीस) प्रतिशत स्वच्छता पर एवं शेष 40 (चालीस) प्रतिशत का व्यय स्थानीय आवश्यकता की योजनाओं पर कर सकेगी।

63. पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2025–26 में **2,144 करोड़ 78 लाख 14 हजार** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा

64. **अध्यक्ष महोदय,** वृद्धजनों, महिलाओं, बच्चों, किशोरियों, दिव्यांगजनों, भिक्षुकों तथा समाज के अन्य अभिवंचित वर्गों के कल्याण तथा समाजिक सुरक्षा कराने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है।

65. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य सरकार ने सशक्त एवं समर्थ राज्य तथा समाज निर्मित करने के निमित्त राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी, सामाजिक रूप से सशक्त, शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सजग और शिक्षित बनाने के निमित्त 18 से 50 वर्ष तक की आयु की महिलाओं को **झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना** से आच्छादित किया है। इस योजनान्तर्गत प्रति महिला प्रति माह 2 हजार 5 सौ रुपये की दर से भुगतान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में **13 हजार 363 करोड़ 35 लाख** रुपये का बजटीय उपबंध का प्रस्ताव है।

66. **अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना** के अंतर्गत 60 वर्ष की उम्र के व्यक्ति आच्छादित किये गये हैं, किन्तु निःशक्त व्यक्तियों, आदिम जनजाति के व्यक्तियों, निराश्रित महिलाओं, HIV/AIDS से ग्रसित व्यक्तियों एवं ट्रान्सजेन्डरों/तृतीय लिंग व्यक्तियों के साथ–साथ 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले आर्थिक रुप से कमजोर सभी महिलाओं तथा अनुसूचित जनजाति/जाति के सभी व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल **3,850.66 करोड़ (3 हजार 850 करोड़ 66 लाख)** रुपये का बजटीय प्रावधान किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत लगभग **34 लाख लाभार्थी** आच्छादित होंगे।

67. **अध्यक्ष महोदय,** इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के मद में वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु कुल **1,449.26 करोड़ (1 हजार 449 करोड़ 26 लाख)** रुपये का बजटीय प्रावधान किया जा रहा है, जिससे लगभग 12,00,000 (बारह लाख) लोगों को पेंशन दिया जा सकेगा।

68. **अध्यक्ष महोदय,** सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों का अपना भवन हो, इसे राज्य सरकार सुनिश्चित करा रही है। इसी क्रम में सरकार वर्ष 2025 तक भवनहीन केन्द्रों में से 2,500 (दो हजार पाँच सौ) आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण करायेगी। वर्त्तमान में 38,523 (अड़तीस हजार पाँच सौ तेइस) केन्द्र संचालित है। कुल 7,700 (सात हजार सात सौ) आँगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों के लिए टेबुल, कुर्सी के मद में कुल **250.17 करोड़ (2 सौ 50 करोड़ 17 लाख)** रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

69. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के आदिम जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में 275 आँगनबाड़ी केन्द्र के भवन निर्माण पर कुल **33 करोड़** रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

70. **अध्यक्ष महोदय,** गर्भवती महिलाओं एवं जच्चा–बच्चा के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए आवश्यक सामग्रियों का **1500/– (एक हजार पाँच सौ)** रुपये के मातृ किट् को 4 लाख लाभार्थियों के बीच वितरण कराया जायेगा। इस पर आगामी वर्ष में **60 करोड़** रुपये का प्रावधान राज्य सरकार कर रही है। किट् में मच्छरदानी, जच्चा एवं बच्चा हेतु पोशाक, तेल, साबुन बाल्टी–मग इत्यादि विभिन्न सामग्रियाँ होंगी।

71. **आदरणीय महोदय,** दिव्यांग कल्याणार्थ योजना के अंतर्गत **5.5 करोड़ (5 करोड़ 50 लाख)** रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। राज्य के दिव्यांग बच्चों, परित्यक्त/निराश्रित/विधवा महिलाओं एवं वृद्धों के लिए विद्यालय/अनाथालय/आश्रम संचालन हेतु कुल **15 करोड़** रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

72. **अध्यक्ष महोदय,** बालिकाओं एवं किशोरियों में उच्च शिक्षा के प्रति आकर्षित करने, बाल विवाह पर रोक, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के निमित्त संचालित सावित्रिबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत वर्ग 8 से वर्ग 12 तक की बच्चियों को **2,500/– (दो हजार पाँच सौ)** रुपये से **5,000/– (पाँच हजार)** रुपये तथा 18–19 वर्ष की किशोरियों को एकमुश्त **20,000/– (बीस हजार)** रुपये तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत युवतियों के विवाह पर एकमुश्त **30,000/– (तीस हजार)** रुपये आर्थिक सहायता हेतु कुल **310 करोड़** रुपये का प्रावधान है।

73. **अध्यक्ष महोदय,** कामकाजी गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था में समुचित आराम, देखभाल के लिए आर्थिक मदद (प्रति लाभुक **5,000/– (पाँच हजार)** रुपये) की योजना मद में **60 करोड़** रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे कामकाजी महिलाएँ लाभांवित होंगी।

74. **अध्यक्ष महोदय,** महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा हेतु वर्ष 2025–26 में **22 हजार 23 करोड़ 33 लाख 85 हजार** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

शिक्षा प्रक्षेत्र

75. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य सरकार स्कूली शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु निरंतर सजग, संवेदनशील एवं प्रयत्नशील है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में

छात्र–छात्राओं के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्त शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु हम कृतसंकल्पित हैं। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के सभी सूचकांकों पर गहनता एवं सजगता के साथ योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है।

76. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन शैक्षणिक सत्र 2023–24 से प्रारंभ किया गया है तथा 325 (तीन सौ पच्चीस) प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल का संचालन प्रारंभ करते हुए 222 विद्यालयों का आधारभूत संरचना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

77. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के कुल 34,847 प्रारंभिक विद्यालयों, 1,711 माध्यमिक विद्यालयों एवं 1,157 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 70 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अन्तर्गत 203 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, 57 झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय तथा 26 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय संचालित है।

78. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में अबतक कुल 803 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा हेतु लैब अधिष्ठापित किये गये हैं, जिसके माध्यम से विभिन्न 11 ट्रेड में व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है, जबकि अन्य 888 लैब की अधिष्ठापना का कार्य प्रगति पर है। इसके अन्तर्गत राज्य के लगभग 1,58,000 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के बारे में बेहतर समझ विकसित करने तथा बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने हेतु आगामी वर्षों में विद्यालयों में 1,050 समेकित गणित एवं विज्ञान लैब के अधिष्ठापन का लक्ष्य रखा गया है।

79. **अध्यक्ष महोदय,** माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत वर्ष 2024–25 में राज्य के कुल 153 मध्य विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में तथा 292 उच्च

विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया है। इससे राज्य के दुरस्थ क्षेत्रों के लगभग 2,50,000 (2 लाख 50 हजार) छात्र–छात्राओं को माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी।

80. **मान्यवर,** राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत शिक्षकों के निरंतर क्षमतावर्द्धन हेतु दिए गए सुझाव के आलोक में शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु ठोस रणनीति तैयार की गयी है, जिसमें प्रत्येक शिक्षक को प्रति वर्ष 50 घंटे के प्रशिक्षण की व्यवस्था दी जा रही है। JCERT के स्तर पर इस हेतु रणनीति तैयार करते हुए माह फरवरी, 2025 से प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है।

81. **अध्यक्ष महोदय,** नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर मसलिया, दुमका एवं खूँटपानी, चाईबासा में विद्यालय भवन का निर्माण कार्य संचालित है और बोकारो के नवाडीह में भी निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है।

82. **मान्यवर,** मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना को संचालित करने का पहल झारखण्ड में किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 से इस योजना का संचालन राज्य योजना के अधीन करने का प्रस्ताव है।

83. **मान्यवर,** उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में Jharkhand Student Research and Innovation Policy, 2025 (झारखण्ड छात्र अनुसंधान एवं नवाचार नीति, 2025) तैयार कर रही है।

84. **महोदय,** झारखण्ड राज्य से दसवीं एवं बारहवीं उत्तीर्ण अनाथ एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु ट्यूशन फी के रूप में 10 लाख रुपये तक वार्षिक एवं दैनिक उपभोग, अध्ययन सामग्री इत्यादि के लिए 4,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु वर्ष 2025–26 से वाल्मिकी छात्रवृत्ति योजना लागू की जा रही है।

85. **माननीय महोदय,** उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में जमशेदपुर, गुमला एवं साहेबगंज जिला में नये राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना तैयार की जा रही है। साथ ही, जमशेदपुर, धनबाद एवं दुमका में तीन नये तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

86. तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बोकारो एवं गोड्डा में नवनिर्मित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025–26 से पठन–पाठन कार्य प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा राँची/खूँटी, जमशेदपुर, गुमला, साहेबगंज तथा गिरिडीह में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

87. **मान्यवर,** राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 02 नये विश्वविद्यालय यथा– Skill University और Fin-Tech University की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही जमशेदपुर, पलामू, राँची, धनबाद, हजारीबाग एवं देवघर में School of Business and Mass Communication की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है।

88. **मान्यवर,** राज्य में Legal Studies को बढ़ावा देने के लिए हजारीबाग, राँची, धनबाद, दुमका एवं पलामू में कुल 05 नये विधि महाविद्यालय की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है।

89. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए **15 हजार 198 करोड़ 35 लाख 30 हजार** रुपये तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए **2 हजार 409 करोड़ 20 लाख 96 हजार** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

90. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य सरकार राज्यवासियों को त्वरित, सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुलभ कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस हेतु प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाऐं उपलब्ध कराने की दिशा में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं।

91. **मान्यवर,** राँची जिला में नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।

92. **मान्यवर,** PPP Mode पर खूँटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर एवं जामताड़ा जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय का गठन प्रस्तावित है।

93. **मान्यवर,** राज्य की जनता को स्वास्थ्य बीमा का लाभ लेने में हो रही कठिनाई के मद्देनजर गुणवत्तापूर्ण उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा सुलभ कराने हेतु राज्य योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की स्वीकृति दी गयी है। साथ ही, राज्य कर्मियों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गयी है।

94. **माननीय महोदय,** शत–प्रतिशत राज्य योजना से क्रियान्वित मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रख–रखाव योजना तथा मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के माध्यम से अस्पतालों की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार सुनिश्चित कराया जा रहा है।

95. **अध्यक्ष महोदय,** स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए **7 हजार 470 करोड़ 50 लाख 86 हजार** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

पेयजल एवं स्वच्छता

96. **अध्यक्ष महोदय,** जल जीवन मिशन के तहत राज्य के कुल 62 लाख 55 हजार ग्रामीण परिवारों को कार्यरत घरेलू नल संयोजन (FHTC) के द्वारा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध अबतक 34 लाख 17 हजार परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष में केंद्रांश मद में अब तक कोई राशि प्राप्त नहीं होने के कारण राज्यांश मद की राशि से योजना के संचालन का निणर्य लिया गया है।

97. **महोदय,** स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण – 2 के तहत अबतक 6 लाख 16 हजार 758 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त नवनिर्मित घरों तथा वैसे घरों जिनमें शौचालयों की सुविधा नहीं है, में शौचालयों का निर्माण कार्य जारी है।

98. **अध्यक्ष महोदय,** वर्ष 2025–26 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग हेतु **4 हजार 710 करोड़ 2 लाख 56 हजार** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

99. **अध्यक्ष महोदय,** झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का सुगम संचालन एवं किसानों को ससमय उनके धान का मूल्य प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए धान अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत क्रय किये गए धान से प्राप्त चावल से झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को संचालित किये जाने के संबंध में कुल 100 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित किया गया है।

100. **मान्यवर,** शत–प्रतिशत राज्य योजना के अधीन दाल वितरण योजनांतर्गत लाभुकों को प्रतिमाह एक किलोग्राम चना दाल तथा नमक वितरण योजनांतर्गत

लाभुकों को प्रतिमाह एक किलोग्राम नमक वितरण सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में **720 करोड़ रुपये** का बजटीय उपबंध का प्रस्ताव है।

101. **मान्यवर,** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अनाच्छादित गरीब परिवारों को झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत आच्छादित कर अनाज वितरण के लिए **470 करोड़ रुपये** का बजटीय उपबंध का प्रस्ताव है।

102. **महोदय,** शत–प्रतिशत राज्य योजना के अधीन संचालित धोती–साड़ी–लुंगी वितरण योजना अंतर्गत **600 करोड़ रुपये** का बजटीय उपबंध का प्रस्ताव है।

103. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के किसानों के कृषि उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का उचित दर मिले, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। गठबंधन सरकार की घोषणा के अनुरूप किसानों को धान के साथ–साथ लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरौंजी आदि के समर्थन मूल्य में वृद्धि की जाएगी।

104. वर्ष 2025–26 में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए **2 हजार 863 करोड़ 49 लाख 22 हजार** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास

105. **अध्यक्ष महोदय,** मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक औजार सहायता योजना के अन्तर्गत कुल 23,372 लाभुकों को लाभ दिया गया। इसके अतिरिक्त साइकिल सहायता योजना, मातृत्व प्रसुविधा योजना, मृत्यु दुर्घटना सहायता योजना, अंत्येष्टि योजना, विवाह सहायता योजना आदि में लाभ दिया जा रहा है।

106. **अध्यक्ष महोदय,** प्रवासी मजदूरों का निबंधन ऑनलाईन किया जा रहा है। अबतक लगभग 1.91 लाख मजदूरों का निबंधन किया गया है।

107. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2024–25 में बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 84 भर्त्ती कैम्पों एवं 66 रोजगार मेलों का आयोजन कर 9,441 युवाओं को रोजगार हेतु चयनित किया गया।

108. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के 20 Skill Development Centre का निर्माण कार्य पूर्ण कर संचालन हेतु Jharkhand Skill Development Mission को हस्तगत कराया गया है। कौशल विकास मिशन के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में **585 करोड़ 99 लाख** रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

109. **मान्यवर,** वर्ष 2025–26 में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के लिए **1 हजार 85 करोड़ 74 लाख 46 हजार** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण

110. **अध्यक्ष महोदय,** छात्रावासों का निर्माण योजनांतर्गत उच्च शिक्षा ग्रहण करने के क्रम में अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निःशुल्क आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख शहरों में बहुमंजिला मॉडल छात्रावासों का निर्माण चरणबद्ध तरीके से कराया जा रहा है।

111. **अध्यक्ष महोदय,** मराड्. गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से युनाईटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नॉर्दन आयरलैंड में अवस्थित चयनित विश्वविद्यालयों/संस्थानों में चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा यथा मास्टर्स/एम०फिल० डिग्री ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना से अब अनुसूचित जनजाति के साथ–साथ अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को भी आच्छादित किया गया है।

112. **मान्यवर,** राज्य के सरकारी विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग के वर्ग 8 में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं में शैक्षणिक निरंतरता को प्रोत्साहित करने एवं ड्रॉप आउट रेट (छीजन) रोकने के उद्देश्य से छात्र–छात्राओं को साइकिल वितरण किया जा रहा है।

113. **मान्यवर,** जनजाति समुदायों के सतत् विकास, सामाजिक उत्थान और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नये जनजातीय विश्वविद्यालय खोले जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। यह जनजातीय समुदायों के समृद्ध सांस्कृतिक पहचान एवं विरासत को संरक्षित करने का उत्कृष्ट केंद्र बनेगा।

114. **मान्यवर,** झारखण्ड जनजातीय परामर्शदात्तृ परिषद् की तर्ज पर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि **झारखण्ड अनुसूचित जाति परामर्शदातृ परिषद्** का गठन किया जाएगा।

115. **मान्यवर,** अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का वित्तीय वर्ष 2025–26 में **3 हजार 384 करोड़ 45 लाख 97 हजार** रुपये का बजट प्रस्ताव किया गया है।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

116. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के वनों एवं संरक्षित क्षेत्रों यथा राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यप्राणी आश्रयणियों में अवस्थित प्राकृतिक सौंदर्य स्थलों में ईको–टूरिज्म का विकास कार्य, मुख्यमंत्री जन–वन योजना, कैम्पा योजना तथा लघुवन पदार्थ का उन्नयन योजना आदि के माध्यम से वन क्षेत्र का कार्य किया जा रहा है।

117. **अध्यक्ष महोदय,** इको टूरिजम योजना के तहत पर्यटन क्षेत्रों को सम्यक् रूप से विकसित करने तथा स्थानीय ग्रामीणों को आजीविका का अवसर बढ़ाने के

लिए कार्य किया जा रहा है। दुमका में मसानजोर के पास इको कॉटेज का उद्घाटन माह जनवरी, 2025 में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त सारण्डा, पश्चिम सिंहभूम के किरीबुरू में घाघीरथी फॉल को विकसित किये जाने का कार्य प्रगति पर है।

118. **अध्यक्ष महोदय,** विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में लगभग 2.50 करोड़ पौधों का रोपण किये जाने का लक्ष्य है, जो कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों तथा वनभूमि पर रोपित होंगे।

119. वर्ष 2025–26 में वन विभाग के लिए **1 हजार 381 करोड़ 99 लाख 30 हजार** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

पथ निर्माण

120. **अध्यक्ष महोदय,** आधारभूत संरचना का विकास न केवल अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है, वरन् यह सामाजिक विकास और सांस्कृतिक उन्नयन का भी वाहक है। राज्य गठन के समय राज्य में पथों की कुल लम्बाई 5 हजार 400 कि०मी० थी, जो अब बढ़कर 14 हजार 879 कि०मी० हो गई है। पथों का घनत्व वर्ष 2024–25 के प्रारम्भ में 177 कि०मी० प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर वर्त्तमान में 188.69 कि०मी० प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है।

121. **मान्यवर,** पथ–घनत्व की वृद्धि के साथ राज्य के महत्त्वपूर्ण सड़कों के यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुचारु बनाने हेतु सड़कों को फोर लेन में परिणत करने एवं फ्लाई ओभर बनाने का कार्यक्रम है।

122. **मान्यवर,** पथ निर्माण विभाग के पथों को उन्नत अवस्था में संधारित करने हेतु क्षतिग्रस्त पथों का IRQP (Improvement of Riding Quality Programme) का प्रस्ताव है।

123. **मान्यवर,** राज्य के पथों पर स्थित पुराने, क्षतिग्रस्त, Distressed एवं सड़क यातायात में Bottle neck साबित हो रहे पुलों के स्थान पर नये उच्चस्तरीय पुलों के निर्माण के निर्धारित लक्ष्य के तहत नये पुल बनाये जाने का प्रस्ताव है।

124. **अध्यक्ष महोदय,** भारत सरकार के रेल मंत्रालय के द्वारा सड़क–रेलमार्ग की सुरक्षा हेतु Level Crossing के Elimination का निर्णय लिया गया है। पथ निर्माण विभाग एवं रेल मंत्रालय के पारस्परिक समन्वय से विभिन्न Road Overbridge निर्माण का प्रस्ताव है।

125. **माननीय महोदय,** राज्य के लगभग 1,200 कि०मी० सड़क का उन्नयन किया जाएगा तथा 10 (ROB फ्लाईओभर सहित) उच्चस्तरीय पुलों का निर्माण किया जाएगा।

126. वर्ष 2025–26 में पथ निर्माण विभाग के लि**ए 5 हजार 900 करोड़ 89 लाख 28 हजार रुपये** का बजट प्रस्तावित है।

ग्रामीण कार्य

127. **अध्यक्ष महोदय,** मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में अब तक 249 योजनाएँ जिनकी कुल लम्बाई 734 कि०मी० है, का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 935 स्वीकृत योजनाओं में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

128. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत् पाँच वर्ष एवं उससे पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त लगभग 15,000 कि०मी० ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण कराते हुए ग्रामीण आबादी का सरकारी कार्यालय, स्कूल/कॉलेज, स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल, बाजार तक आवागमन सुगम बनाने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में अबतक 474 योजनाएँ जिनकी कुल लम्बाई 1,884 कि०मी० है, पूर्ण की जा चुकी हैं। शेष स्वीकृत योजनाओं में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

129. मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में 70 अदद् पुल का निर्माण कार्य पूर्ण करने के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। वर्त्तमान में कुल 492 पुल के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

130. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत 2,500 कि०मी० पथ एवं 200 पुलों के निर्माण का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध अबतक 715 कि०मी० लम्बाई में पथ का निर्माण किया जा चुका है। शेष निर्माण कार्य प्रगति पर है।

131. **अध्यक्ष महोदय,** वर्ष 2025–26 में ग्रामीण कार्य विभाग के लिए **4 हजार 576 करोड़ 30 लाख 73 हजार** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

नागर विमानन

132. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य सरकार के उपयोग हेतु साहेबगंज में नए Domestic Airport एवं Air Cargo Hub के निर्माण के लिए चिन्हित भूमि के अधिग्रहण पर सरकार की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

133. राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा तथा Tourist Circuit हेतु Heli-Shuttle सेवा प्रारंभ करने की योजना विचाराधीन है। इसके अंतर्गत राज्य के प्रमुख तीर्थ स्थलों यथा– देवघर, बासुकीनाथ, पारसनाथ, रजरप्पा, ईटखोरी

एवं प्रमुख पर्यटक स्थलों यथा– बेतला नेशनल पार्क, पतरातु घाटी, साहेबगंज हेतु राज्य की राजधानी से Helicopter Shuttle Service प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है।

134. राज्य के गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए सस्ते दर पर Air Ambulance सेवा दिनांक 28.04.2023 से 24X7 संचालित की जा रही है। सेवा का लाभ सभी गरीब जरूरतमंद लोगों को सुलभ हो इसके लिए पूर्व निर्धारित दरों में 50 प्रतिशत की कटौती की गयी है।

135. **अध्यक्ष महोदय,** नागर विमानन हेतु वर्ष 2025–26 में **115 करोड़ 19 लाख 37 हजार** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

ऊर्जा

136. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में गुणवत्तापूर्ण निर्बाध बिजली आपूर्ति करना सरकार का लक्ष्य है। राज्य के सभी घरेलू एवं शहरी उपभोक्ताओं को 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का लाभ लगभग 35 लाख उपभोक्ता उठा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस योजनान्तर्गत **5 हजार 5 करोड़ 9 लाख रुपये** व्यय करने का प्रस्ताव है।

137. **मान्यवर,** झारखण्ड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्धता में वृद्धि हुई है। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं हेतु नये विद्युत संरचना का निर्माण भी किया गया है। पतरातु में चार हजार मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।

138. **मान्यवर,** मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखण्ड योजना अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी विद्युतीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में **500 करोड़ रुपये** का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

139. **आदरणीय महोदय,** नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित PM-KUSUM योजना अंतर्गत राज्य में सिंचाई कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में कॉम्पोनेन्ट बी० के तहत स्वीकृत 10,000 सोलर पम्पसेट की आपूर्ति, अधिष्ठापन एवं पाँच वर्ष के रख–रखाव की योजना के लिए राज्य अनुदान के रूप में **150 करोड़** के बजटीय उपबंध का प्रस्ताव है।

140. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2025–26 में विद्युत संचरण संबंधी परियोजनाओं पर कार्य जारी रखने हेतु बजटीय उपबंध का प्रस्ताव किया गया है।

141. **अध्यक्ष महोदय,** विद्युत हमारे रोजमर्रा के जीवन और समग्र विकास की रीढ़ है। वर्ष 2025–26 में **9 हजार 894 करोड़ 35 लाख 53 हजार** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

उद्योग

142. **अध्यक्ष महोदय,** झारखण्ड राज्य प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण ऐसा राज्य है, जहाँ औद्योगिक विकास की असीम संभावनाएँ हैं। राज्य सरकार अनुकूल औद्योगिक वातावरण के निर्माण हेतु निरंतर प्रयासरत् है। इस क्रम में विभिन्न नई औद्योगिक नीतियों का सूत्रण किया गया, ताकि न सिर्फ राज्य में पूँजी निवेश का निरंतर प्रवाह बने, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो। आगामी वित्तीय वर्ष

2025–26 के लिए विभाग से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु **450 करोड़** रुपये प्रस्तावित है।

143. **अध्यक्ष महोदय,** विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत् आगामी वर्ष में 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश लाया जाएगा, जिससे राज्य के लगभग 15 हजार लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार मिलने की संभावना है। औद्योगिक इकाईयों की देयता के निष्पादन एवं राज्य के औद्योगिक विकास तथा पूँजीनिवेश हेतु प्रक्षेत्रवार अधिसूचित नीति अन्तर्गत स्थापित नये औद्योगिक इकाईयों को देय अनुदान/सब्सिडी के निमित्त राशि का प्रावधान किया गया है।

144. **अध्यक्ष महोदय,** सिंगल विण्डो व्यवस्था के तहत निवेशकों को सभी प्रकार की आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जाती है एवं ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। निर्धारित समय–सीमा एवं उद्योग स्थापित करने के निमित्त ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं अन्य सुविधा तथा पूँजी निवेश के उद्देश्य से राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार, गोष्ठियाँ, सिंगल विण्डो के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। सिंगल विण्डो के संचालन हेतु आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राशि का प्रावधान किया गया है।

145. **अध्यक्ष महोदय,** आगामी वित्तीय वर्ष 2025–26 में जियाडा अन्तर्गत बोकारो, गिरिडीह, काण्ड्रा, सिन्दरी, आदित्यपुर, जसीडीह एवं देवीपुर औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना से संबंधित योजनाएँ कार्यान्वित की जाएगी।

146. **अध्यक्ष महोदय,** आगामी वर्ष में MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम) उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने के लिए MSME निदेशालय या MSME Cell का गठन प्रस्तावित है। MSME निदेशालय के संचालन/

क्रियान्वयन हेतु नई झारखण्ड MSME प्रोत्साहन नीति, 2023 अधिसूचित किया गया है।

147. **अध्यक्ष महोदय,** झारखण्ड तसर रेशम उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। गत् वित्तीय वर्ष 2023–24 में 1,000 मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरूद्ध 1,121.77 मीट्रीक टन रॉ तसर का उत्पादन हुआ। वर्तमान वर्ष 2024–25 में 1,500 मीट्रिक टन के लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर है। अगामी वित्तीय वर्ष 2025–26 में रेशम प्रक्षेत्र में 1,800 मीट्रिक टन तसर रेशम के उत्पादन का लक्ष्य है।

148. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में उद्योगों के विकास और विस्तार विशेषकर मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को प्रधानता देते हुए वर्ष 2025–26 में उद्योग विभाग के लिए **486 करोड़ 31 लाख 61 हजार** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

भवन निर्माण विभाग

149. **आदरणीय महोदय,** राज्य की राजधानी में माननीय विधायकों को समुचित आवासन की सुविधा प्रदान करने के निमित्त 70 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे जून, 2025 तक पूर्ण करने का विस्तारित लक्ष्य रखा गया है।

150. वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु भवन निर्माण विभाग के लिए **861 करोड़ 57 लाख 31 हजार** रुपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

नगर विकास एवं आवास

151. **अध्यक्ष महोदय,** प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत अब तक झारखण्ड राज्य के लिए कुल 2,11,010 आवासीय इकाई स्वीकृत है, जिसमें से 1,29,045

आवास पूर्ण किये जा चुके है एवं 63,990 आवासीय इकाईयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

152. राँची में नई एवं उभरती तकनीक से Light House Project के तहत 1,008 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लाभुकों को आवंटित कर दी गयी है।

153. अमृत एवं अमृत 2.0 मिशन योजनान्तर्गत विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। इनमें से राँची शहरी जलापूर्ति, चास शहरी जलापूर्ति एवं आदित्यपुर सिवरेज प्रबंधन योजना का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2025–26 में पूर्ण कर लिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025–26 में जलापूर्ति परियोजनाओं का निर्माण कार्य 11 नगर निकायों, यथा– चास, गिरिडीह, धनवार, कपाली, गुमला, लोहरदगा, विश्रामपुर, बरहरवा, श्रीबंशीधरनगर, छत्तरपुर एवं हरिहरगंज में प्रारंभ किया जाएगा।

154. **माननीय महोदय,** मुख्यमंत्री श्रमिक योजना अन्तर्गत 2024–25 में कुल 20,000 जॉब कार्ड बनाने के लक्ष्य के विरुद्ध अबतक 7 हजार 282 जॉब कार्ड निर्गत किए जा चुके हैं तथा 10 लाख मानव दिवस सृजित किए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध 3 लाख 23 हजार 512 मानव दिवस सृजित किये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 20 हजार जॉब कार्ड बनाने तथा 10 लाख मानव दिवस सृजित किए जाने का लक्ष्य है।

155. नमामि गंगे योजना अंतर्गत राज्य में 300 कि०मी० तक बहनेवाली गंगा की सहायक नदी दामोदर को नमामि गंगे परियोजना में शामिल करते हुए फुसरो, रामगढ़ एवं धनबाद शहर हेतु Interception & Diversion आधारित 14 MLD, 40 MLD एवं 192 MLD Sewerage Treatment Plant परियोजना का कार्य

प्रक्रियाधीन है एवं क्रमशः जून 2025, मार्च 2026 एवं दिसम्बर 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

156. **महोदय,** वित्तीय वर्ष 2025–26 में राँची स्मार्ट सिटी क्षेत्र में ग्रीन फिल्ड, ओपेन स्पेश एवं पार्क का विकास करने की योजना है।

157. वर्ष 2025–26 में नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए **3 हजार 577 करोड़ 68 लाख 91 हजार** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य

158. **अध्यक्ष महोदय,** विभाग द्वारा वर्तमान में 41 आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र एवं 102 डे बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं तथा 59 नये डे–बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य है।

159. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में प्राप्त उपलब्धि के आधार पर राज्य के 523 मेधावी खिलाड़ियों को 428.85 लाख रुपये का पुरस्कार तथा 115 प्रशिक्षकों को 90.35 लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया।

160. **अध्यक्ष महोदय,** जिला मुख्यालयों में बहुद्देशीय इन्डोर स्टेडियम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के वैसे सभी प्रखण्डों जिसमें स्टेडियम नहीं है, उन प्रखण्डों में मॉडल प्राक्कलन पर स्टेडियम का निर्माण कराया जायेगा।

161. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के सभी गांवों में एक सिदो–कान्हु युवा क्लब की स्थापना की जा रही है। झारखण्ड उत्कृष्ट खिलाड़ी सीधी नियुक्ति (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2025 बनायी जायेगी।

162. **अध्यक्ष महोदय,** पलामू प्रमण्डल अन्तर्गत 16वीं शताब्दी में निर्मित पलामू किला एक ऐतिहासिक धरोहर है। वर्त्तमान में पलामू किला बाघ अभयारण्य क्षेत्र में अवस्थित है। सरकार पलामू किला का अनुरक्षण करते हुए विभिन्न सुविधाओं का विकास कर पलामू की गौरवशाली अतीत को नई पीढ़ियों के समक्ष लायेगी।

163. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में पर्यटन व्यापार पंजीकरण नियमावली गठित किया गया है तथा निबंधन प्रारंभ कर दिया गया है। देवघर में फुड क्राफ्ट संस्थान का संचालन किया जा रहा है।

164. **अध्यक्ष महोदय,** गिरिडीह जिलान्तर्गत अवस्थित खंडोली पर्यटन स्थल का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण करते हुए इसे देश के पर्यटन मानचित्र पर जगह दिलाया जाएगा।

165. **अध्यक्ष महोदय,** साहेबगंज जिलान्तर्गत भोगनाडीह में सिदो–कान्हु मुर्मू जन्मस्थली के उन्नयन एवं सौन्दर्यीकरण कार्य की स्वीकृति दी गयी है। गोड्डा जिला के सुंदर डैम जलाशय के आसपास के क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। गुमला जिला के नागफेनी/अंबाघाट के पर्यटकीय विकास एवं मूलभूत सुविधा का निर्माण कार्य किये जाने की स्वीकृति दी गयी है।

166. **अध्यक्ष महोदय,** लातेहार जिला अंतर्गत नेतरहाट पर्यटन क्षेत्र के विकास की स्वीकृति दी गयी है। राँची जिला में हुण्डरू जलप्रपात के पर्यटकीय विकास की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसी तर्ज पर गिरिडीह में उसरी जलप्रपात एवं लातेहार जिला में बूढ़ाघाघ जलप्रपात के पर्यटकीय विकास के लिए योजना बनायी जाएगी।

167. **अध्यक्ष महोदय,** आगामी वित्तीय वर्ष 2025–26 में दशम, हुण्डरू, नेतरहाट एवं पतरातु में ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया जायेगा। जोन्हा, हुण्डरू, कौलेश्वरी

एवं त्रिकुट में नए रोप–वे का निर्माण प्रस्तावित है। खूंटी जिला के पेरवाघाघ जलप्रपात तथा पाण्डुपुडिंग पर्यटन स्थल को इको–टूरिजम सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। राँची जिला के तपोवन मंदिर का विकास कराया जायेगा।

168. **अध्यक्ष महोदय,** रामगढ़ जिला के रजरप्पा मंदिर कॉम्प्लेक्स का पर्यटकीय विकास कराया जायेगा। प्रमुख जलाशयों, यथा– तिलैया, चाण्डिल, मंडल, तेनुघाट आदि का पर्यटकीय विकास कराया जायेगा। इसी प्रकार, खनन पर्यटन (Mining Tourism) विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है।

169. **महोदय,** सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन कई जिलों में निरीक्षण भवन, रेस्ट हाउस, परिसदन आदि निर्मित हैं, जिसके परिसर में इतनी भूमि उपलब्ध है कि Way-Side Amenities का निर्माण कराया जा सकता है, ताकि राहगीरों को इसका लाभ मिल सके। सरकार इसपर विचार कर रही है।

170. **माननीय महोदय,** सरकार राज्य में झारखण्ड संगीत कला अकादमी, झारखण्ड ललित कला अकादमी एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लिए साहित्य कला अकादमी के गठन पर कार्य कर रही है।

171. वर्ष 2025–26 में पर्यटन विभाग के लिए **336 करोड़ 64 लाख 45 हजार** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

सूचना, प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस

172. **अध्यक्ष महोदय,** सिन्दरी एवं देवघर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किये गये हैं। शीघ्र ही इसे Software Technology Park of India (STPI), GoI को हैण्डओभर किया जायेगा।

173. **अध्यक्ष महोदय, आपकी योजना–आपकी सरकार–आपके–द्वार** पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024–25 में 5,741 शिविर आयोजित कर 34 लाख 12 हजार लोगों को लाभान्वित किया गया है।

174. **अध्यक्ष महोदय,** झारखण्ड स्टेट Data Center हेतु Disaster Recovery का कार्यान्वयन किया जा रहा है, ताकि Data Center की सेवाएं सुचारू एवं सुरक्षित रह सके। साथ ही, आपदा की स्थिति में Data का Recovery किया जा सके।

175. वर्ष 2025–26 में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए **303 करोड़ 96 लाख 72 हजार** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

176. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2025–26 में विशेष केन्द्रीय सहायता मद से लगभग 100 करोड़ रुपये की सहायता केन्द्र सरकार से प्राप्त होने की संभावना है। इस राशि से राज्य के एक अति उग्रवाद प्रभावित जिला पश्चिम सिंहभूम तथा 04 संवेदनशील जिला यथा– गुमला, लातेहार, लोहरदगा एवं गिरिडीह के विकास में नये आयाम स्थापित कर इन्हें उग्रवाद से मुक्त कराया जायेगा।

177. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु नये रसायन भवन का निर्माण तथा विज्ञान प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

178. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के अफीम उत्पादक जिले से अफीम की खेती के विनिष्टिकरण के लिए अभियान चलाकर जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर कार्य किया जा रहा है तथा कृषकों को इसके बदले वैकल्पिक खेती के विकल्प दिये जा रहे हैं।

179. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के काराओं में मोबाईल फोन के उपयोग को रोकने के उद्देश्य से 4G Cell Phone Jammer तथा Mobile Phone detector का क्रय कर अधिष्ठापन किया जायेगा।

180. वर्ष 2025–26 में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत हेतु प्रस्तावित बजट **896 करोड़ 59 लाख करोड़** रुपये का है।

181. वर्ष 2025–26 में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए कुल **9 हजार 916 करोड़ 94 लाख 62 हजार** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

योजना एवं विकास

182. **अध्यक्ष महोदय,** जिलों की स्थानीय आवश्यकता एवं Missing Critical Gap को पूरा करने हेतु **जिला योजना अनाबद्ध निधि** के माध्यम से जिलास्तर पर छोटी–छोटी योजनाएं ली जाती हैं, जो एक ही वित्तीय वर्ष में समाप्त हो सके। जिला योजना अनाबद्ध निधि के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में **355 करोड़** रुपये का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित है।

183. **अध्यक्ष महोदय,** जिलास्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभाग के माध्यम से Innovative Jharkhand योजना संचालित है।

184. **अध्यक्ष महोदय,** नीति आयोग के द्वारा राज्य में आकांक्षी जिला कार्यक्रम एवं आकांक्षी प्रखण्ड कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इसके अनुश्रवण एवं क्षमता सम्वर्द्धन (Capacity Building) के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में नयी योजना के रूप में लिये जाने का प्रस्ताव है।

185. **अध्यक्ष महोदय,** जिलास्तर पर Data Bank की स्थापना, आंकड़ों के संग्रहण, अर्न्तविभागीय समन्वय एवं District Profile तैयार करने हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2025–26 में बाह्य स्रोत से Planning Fellows की नियुक्ति नियत मानदेय पर की जायेगी।

186. **अध्यक्ष महोदय**, विकास के लिए योजनाओं के अवधारण और सूत्रण के साथ–साथ विभिन्न प्रक्षेत्रों में क्रिटिकल गैप पूरा करने में योजना एवं विकास विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत **414 करोड़ 35 लाख 23 हजार** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

187. **अध्यक्ष महोदय,** योजना एवं विकास विभाग द्वारा वर्ष 2021–22 से आउटकम बजट का सूत्रण किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु कुल 13 विभागों का आउटकम बजट इस सदन के पटल पर लगातार पाँचवीं बार प्रस्तुत किया जा रहा है।

188. **अध्यक्ष महोदय,** आगामी वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य का कुल योजना आकार **91 हजार 741 करोड़ 52 लाख 80 हजार** रुपये है, जिसमें 13 विभागों की कुल 200 योजनाओं का आउटकम बजट की राशि **45 हजार 855 करोड़ 04 लाख** रुपये है, जो योजना बजट का लगभग **50** प्रतिशत है।

189. **अध्यक्ष महोदय,** आगामी वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए आउटकम बजट से संबंधित विभागों की योजनाओं के आधार पर **बाल बजट** भी तैयार किया गया है। बाल बजट तैयार करने का उद्देश्य राज्य में बच्चों के समुचित विकास के लिए समेकित प्रयास करना है तथा राज्य में बच्चों से संबंधित संचालित होने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। इस वर्ष आउटकम बजट की कुल 200 योजनाओं में से बच्चों से संबंधित लगभग 42 योजनाओं के आधार पर बाल बजट तैयार किया गया है, जिसमें कुल **9 हजार 4 सौ 11 करोड़ 27 लाख** रुपये की राशि उपबंधित की गई है। यह राशि आउटकम बजट के अंतर्गत ली गई योजनाओं की कुल उपबंधित राशि का लगभग 20.5 प्रतिशत है तथा राज्य के कुल योजना आकार का लगभग 10 प्रतिशत है।

190. **अध्यक्ष महोदय,** मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमने सदन के पटल पर केवल आय–व्यय का दस्तावेज ही नहीं रखा है, अपितु यह समस्त झारखण्डवासियों के आज और कल की आशाओं और उम्मीदों की मूक अभिव्यक्ति को भी वाणी दी है। महोदय, कठिनाईयाँ और विषम परिस्थितियाँ मंजिल के लिए बाधा नहीं, बल्कि वे और ज्यादा दृढ़ प्रयास करने को प्रेरित और संकल्पित करती हैं।

191. **अध्यक्ष महोदय,** मैं अपना बजट अभिभाषण इस सदन को श्री पीयूष मिश्रा जी की कविता में आंशिक परिवर्तन के साथ समर्पित कर रहा हूँ :–

आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड
आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो
आन–बान–शान या कि जान का हो दान
आज एक धनुष के बाण पे उतार दो
मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले
वही तो एक सर्वशक्तिमान है
विश्व की पुकार है, ये भगवत का सार है कि
युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है
कौरवों की भीड़ हो या पाण्डवों का नीड़ हो
जो लड़ सका है, वो ही तो महान है
लक्ष्य अनन्त है किसी की प्रताड़ना से क्यूँ डरें
ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

जय हिन्द ! **जय झारखण्ड !** **जोहार !**